

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 92/2025

दायर दिनांक-17.04.2025

1. रविशंकर पुत्र रणवीर गुर्जर
2. विकास कुमार पुत्र रणजीत सिंह जाति गुर्जर निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-वादीगण

बनाम

1. अदरीश अली पुत्र अब्दूल रहमान
2. अहमद शकील पुत्र अब्दूल रहमान
3. शैयद अली पुत्र अब्दूल रहमान समस्त जाति धोबी निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री राजेश गुर्जर
वकील प्रतिवादी :- श्री विकास सैनी

दावा बाबत विभाजन

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 17.06.2025

वाद वादी दिनांक 24.04.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: भू0 अ0/2025/8079 दिनांक 04.06.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 831 रकबा 1.5500 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	रविशंकर पुत्र रणवीर जाति गुर्जर, विकास कुमार पुत्र रणजीत सिंह जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार काशतकार।	831/2	0.5420	बारानी 1
2	अदरीश अली हिस्सा 767/1976, शैयद अली हिस्सा 221/988, अहमद शकील हिस्सा 767/1976 पिता अब्दुल रहमान जाति धोबी साकिन देह खातेदार।	831/1	0.9880	बारानी 1
3	रविशंकर पिता रणवीर जाति गुर्जर, विकास कुमार पिता रणजीत सिंह जाति गुर्जर, अदरीश अली, शैयद अली, अहमद शकील पिता अब्दुल रहमान जाति धोबी साकिन देह खातेदार।	831/3	0.02	गैर मु0 रास्ता

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अहमद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मुरादाबाद जिला झुन्डुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 92/2025

दावा : विभाजन

(रविशंकर बनाम अदरीश अली आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है च डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.06.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम खिरोड षटवार हल्का खिरोड की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 831 रकबा 1.5500 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	रविशंकर पुत्र रणवीर जाति गुर्जर, विकास कुमार पुत्र रणजीत सिंह जाति गुर्जर साकिन. देह खातेदार काश्तकार।	831/2	0.5420	बारानी 1
2	अदरीश अली हिस्सा 767/1976, शैयद अली हिस्सा 221/988, अहमद शकील हिस्सा 767/1976 पिता अब्दुल रहमान जाति धोबी साकिन देह खातेदार।	831/1	0.9880	बारानी 1
3	रविशंकर पिता रणवीर जाति गुर्जर, विकास कुमार पिता रणजीत सिंह जाति गुर्जर, अदरीश अली, शैयद अली, अहमद शकील पिता अब्दुल रहमान जाति धोबी साकिन देह खातेदार।	831/3	0.02	गैर मु0 रास्ता

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.06.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला सुन्धुनू

276

4/6/25
05/01/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक / भू अ / 2025 / 8079

दिनांक 4/6/2025

प्रेषिति : - श्रीमान सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)महोदय
नवलगढ

विषय :-उनवानी प्रकरण रविशंकर बनाम अदरीश अली आदि मु.न. 92/2025 में विभांजन प्रस्ताव भिजवाने
बाबत ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण रविशंकर बनाम अदरीश अली आदि मु.न. 92/2025 में निर्णय दिनांक 24.04.2025 की पालना में ग्राम खिरोड, तहसील नवलगढ का विभांजन प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है ।

संलग्न : - मूल विभांजन प्रस्ताव (दो प्रति)

तहसीलदार (भू.अ.)नवलगढ
तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

में वै.सि.द.र.००.....(नाम) तहसीलदार नवलगढ़, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के आदेश क्रमांक / राजस्व/2025/122, दिनांक 25/4/25 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 30/5/25 समय 11:00 AM बजे आराजी खसरा नम्बर- 831, 234 - 1.55 है. वाके काम खिरा पटवार हल्का खिरा पर श्री लाललाल (I.L.R बलान) सदीप माहिन पटवारी खिरा नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 92/2025 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक दिनांक द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	रविशंकर	रगवीर शर्मा	24	शर्मा	वादी
2	विमल कुमार	रगवीर शर्मा	24	शर्मा	वादी
3	अदरीश अली	अब्दुल रहमान	33	धामी	प्रतिवादी
4	अमर अली	अब्दुल रहमान	44	धामी	प्रतिवादी


उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

उपरोक्त पत्रमार्फत की उपस्थिति में अधिका अधिका मूआयना मौका मिला गया एवं राजस्वान कार्रकारी (राजस मण्डल) नियम- 1955 के नियम- 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्तुत किया जा रहा है -

क्र.सं.	स्वामिकार	ख.ता.	रकबा (है.)	प्रिम	लागत
1.	रविशंकर फि. शशीर जर्जर विकास कुमार फि. शशीर सिंह, जाति - जर्जर सा. देह	$\frac{831}{2}$	0.5420	का.1	2.68
		मिरा-1	0.5420	का.2	2.68
2.	अद्रीश अली दि. $\frac{767}{1976}$, शैयद अली दि. $\frac{221}{988}$, अहमद शमील दि. $\frac{767}{1976}$, फि. अबदुल रहमान, जाति - धोबी, सा. देह	$\frac{831}{1}$	0.9880	का.1	4.88
		मिरा-1	0.9880	का.1	4.88
3.	रविशंकर फि. शशीर जर्जर विकास कुमार फि. शशीर सिंह, अद्रीश अली, शैयद अली अहमद शमील फि. अबदुल रहमान, जाति - धोबी, सा. देह	$\frac{831}{3}$	0.02	का.2 X-ग्र. रास्ता	
		मिरा-1	0.02		

रविशंकर
विकास कुमार
अद्रीश अली
शैयद अली


J.L. D. (194)
30/5/2025


Samb 30/5/25
शशीर सिंह

तहसीलदार (भ.अ.)
नवलगढ़

आंशिक नकल नम्बरा क्षेत्र ग्राम सिरोडा

तहसील - नवलगाव

जिला - हनुमन्तगिर
बीज.



Samb 30/5/18
पत्नी सिरोडा

रवि शंकर
विकास कुमार
अधीन कर्मी
हनुमन्तगिर

[Signature]
9/10/2018
20/1/2025

54
तहसीलदार (म.अ.)
नवलगाव

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
1.	रविशंकर	रणवीर गुर्जर	गुर्जर	रविशंकर	वादी
2.	विक्रम कुमार	रणवीर सिंह	गुर्जर	विकास कुमार	वादी
3.	अदरीश अली	अब्दुल रहमान	धोबी	अदरीश अली	प्रतिवादी
4.	सैयद अली	अब्दुल रहमान	धोबी	सैयद अली	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..

इस प्रकार आज दिनांक 30/5/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Samb 30/5/25
हस्ताक्षर
पटवारी

हस्ताक्षर
30/5/2025
निरीक्षक

तहसीलदार (मू.अ.)
नवलगढ़